

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू

क्रमांक प. 12 (3)(3) राज/2008/

दिनांक जनवरी, 2009

संपरिवर्तन आदेश

श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का शिक्षण संस्थान प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्व (भूमि रूपांतरण) दिनांक राजस्थान जयपुर की स्वीकृति क्रमांक प.2(40)राज/भू.रू./08 दिनांक 3.9.08 के अनुसार राजस्थान राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2002 के नियम 13 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित किया जाता है, जिसकी विशेषियां निचे दी गई है :-

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता :	श्री नीरज कुमार सैनी अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है :	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौरा : (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम डूण्डलोद ग्राम पंचायत डूण्डलोद तहसील नवलगढ़. खसरा संख्या 507 रकबा 1.15 हैक्टेयर खसरा संख्या 507 रकबा 1.15 हैक्टेयर में से 3000 वर्ग मीटर
टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शिक्षण संस्थान प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम :	चालान संख्या 165 दिनांक 13-1-09 राशि 60,000/- रूपये
6.	चालान की संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :	शून्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा कराई गई रकम :	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है :	हां

3/1  
उप-पंजीयक, नवलगढ़

9.	अन्य कोई विशिष्टियों, यदि कोई हो :   नहीं
	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा। (3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।
10.	(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिपूर्वक अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से निर्धारित दूरी राज्य-पक्ष में छोड़नी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका/ग्राम पंचायत की उपविधियों के पालन रखनी होगी। (7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

दिनांक 27 जनवरी, 2009

क्रमांक प. 12(3)(3)राज/2008/352-57

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-



- 1 उप खण्ड अधिकारी, नवलगढ़ ।
- 2 प्रभारी अधिकारी जिराले अनुभाग कार्यालय हाजा ।
- 3 तहसीलदार, नवलगढ़।
- 3 सरपंच, ग्राम पंचायत डूण्डलोद तहसील नवलगढ़।
- ✓ 4 श्री नीरज कुमार सेनी अध्यक्ष, मां भारती एज्यूकेशन सोसायटी डूण्डलोद तहसील नवलगढ़
- 5 गार्ड फाईल।

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

उप-पंजीयक, नवलगढ़



256



P-35 21/6/2008

महसोल तहसीलदार कार्यालय  
21/6/2008  
उप-पंजीयक  
महसोल तहसीलदार कार्यालय  
नवलगढ (राज.)

उप-पंजीयक, नवलगढ